विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-05/2023

श्री राजेन्द्र चत्तर, प्रो. राजेन्द्र गृह उद्योग, – **आवेदक**
35 सुभाष मार्ग, धानमंडी,
रतलाम (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्र (शहर) संभाग, – **अनावेदक**
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
रतलाम (म.प्र.)–457001

आदेश

(दिनांक 16.02.2023 को पारित)

01 आवेदक श्री राजेन्द्र चत्तर, प्रो. राजेन्द्र गृह उद्योग, 35 सुभाष मार्ग, धानमण्डी, रतलाम (म.प्र.) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 18.1.2023 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इंदौर/उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक WO 515222 में आदेश दिनांक 20.10.2022 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 42 (6) विद्युत अधिनियम, 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 23.1.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल 00–05/2023 पर दर्ज की गई है ।

02 **प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :**
मै प्रार्थी राजेन्द्र चत्तर प्रो. राजेन्द्र गृह उद्योग रतलाम (म.प्र.) में एक सूक्ष्म मसाला चक्की चला रहा हूँ । मेरे द्वारा अधिक MD की पेनल्टी से परेशान होकर आप श्रीमान के यहॉ पर सुनवाई हेतु आवेदन किया गया था । जिस पर आपने 18.03.2016 को आदेश देकर पेनल्टी वसूली पर रोक लगा दी थी । जिसका कुछ समय तो वितरण कं. ने पालन कर के

फिर 2019 से पालन करना बंद कर पूर्ववत ही पेनल्टी लगाना शुरू कर दिया । मेरे बार–बार आवेदन करने पर वितरण कं. ने मुझसे विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, उज्जैन के रतलाम शिविर में आवेदन करवाया जिसकी सुनवाई उज्जैन में करते हुए फोरम ने मेरे प्रकरण क्रमांक WO 515222 में दिनांक 20.10.2022 को लोड़ बढ़ाने का निर्देश दे दिया । फोरम द्वारा आदेश कि कॉपी भी मुझे आज दिनांक तक नहीं दी गयी तथा मेरे द्वारा कई बार फोन पर पूछने पर उज्जैन के फोरम कार्यालय ने मुझे डेढ़ माह बाद 29.12.2022 को फैसले का PDF बना कर मेरे वॉटसएप नं. पर भेजा गया ।

महोदय फोरम का आदेश सरासर अन्याय एवं अमानवीय है तथा यह प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के भी विरूद्ध है। यह मेरे सूक्ष्म उद्योग को बंद करने की कगार पर पहुंचा देगा । क्योंकि में अभी भी मेरे स्वीकृत भार 5.5 KW में प्राप्त 160 यूनिट का भी पूरा उपयोग नहीं कर पाता हूँ मेरे द्वारा मात्र 50–100 यूनिट ही उपयोग होते हैं एवं मात्र 1 मोटर 7.5 HP की ही उपयोग होती है जिसका कितनी ही बार वितरण कं. द्वारा निरीक्षण किये जाने पर भी मात्र 7.5 HP की मोटर ही चलते हुई पाई गयी है ।

महोदय मेरा उद्योग 2015 से अभी तक एक ही स्थिति में ही चल रहा है महोदय कृपा कर मेरा आवेदन स्वीकार कर अपने पूर्व के दिये 18.3.2016 के आदेश को पालन करने हेतु वितरण कं. को निर्देशित करने कि कृपा करें महोदये मेरे द्वारा बिल की आधी राशि भर कर आपको रसीद पहुंचा रहा हूँ क्योंकि डी.ई सा. से लिखवाना पड़ता है तो ही आधी राशि जमा होगी, बो नहीं मिल रहे हैं ।

03 प्रकरण को क्रमांक एल 00–05/2023 पर दर्ज करने के बाद उभय पक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 14.2.2023 नियत की गई ।

प्रथम सुनवाई दिनांक 14.2.2023 को आवेदक की ओर से आवेदक स्वयं श्री राजेन्द्र चत्तर, उपस्थित अनावेदक की ओर से श्री राज प्रताप सिंह, कनिष्ठ अभियंता उपस्थित ।

अनावेदक द्वारा सुनवाई के दौरान उक्त प्रकरण के सबंध में प्रत्युत्तर क्रमांक 1785 दिनांक 13.2.2023 प्रस्तुत किया जिसे रिकार्ड में लिया गया ।

❖ **आवेदक ने अपनी अपील के संबंध में निम्नानुसार कथन किये :–**

(1) मेरे यहॉ 7.5 H.P का कनेक्शन है एवं मेरी मोटर 7.5 H.P की क्राम्पटन मेक की है, वह 20 वर्ष पुरानी है,

(2) मुझे एम.डी (अधिकतम मांग) अधिक आने पर अधिक बिल किया जाता है जबकी मोटर 7.5 H.P की ही है ।

(3) मुझे एम.डी अधिक होने पर अधिक किया गया बिल वापस लिया जावे ।

❖ **अनावेदक के कथन :–**

(1) आवेदक को टैरिफ में प्रावधान अनुसार ही बिल किया जा रहा है, जो कि सही है ।

(2) आवेदक द्वारा बार–बार स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग कर अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन कर रहा है, एवं नियमित बिल का भुगतान भी नहीं कर रहा है ।

(3) आवेदक के यहॉ स्थापित मोटर बहुत पुरानी होने के कारण अधिक लोड़ ले रही है क्राम्पटन कम्पनी ने भी इसकी पुष्टि की है ।

उपभय पक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज / तथ्य / कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभय पक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे और कोई कथन नहीं किया जाना है ना ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज / जानकारी प्रस्तुत की जानी है । अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

04 उभय पक्षों द्वारा किये गये कथनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों / साक्ष्यों की स्थापित विधि एवं नियमों / विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

(1) आवेदक का मसाला चक्की हेतु 7.5 HP का औद्योगिक श्रेणी का कनेक्शन राजेन्द्र चत्तर प्रो. राजेन्द्र गृह उद्योग के नाम से औद्योगिक क्षेत्र रतलाम (म.प्र.) में स्थापित है ।

(2) आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर में कई बार अधिकतम मांग (Maximum Demand) स्वीकृत भार 7.5 HP / 5.5 KW से अधिक दर्ज हुई जिसके कारण मीटर में दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर टैरिफ में प्रावधान अनुसार बिल किया जा रहा है ।

(3) आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर की जॉच की गई जिसमें मीटर सही कार्य करना पाया गया । इसके उपरांत भी आवेदक की संतुष्टि के लिये नया मीटर लगाया गया ।

(4) नया मीटर लगाने पर भी अधिकतम मांग स्वीकृत भार से अधिक दर्ज हुई है ।

(5) आवेदक के यहॉ स्थापित क्राम्पटन मेक की मोटर 20 वर्ष पुरानी है ।

(6) MRI डाटा में यह दर्शाया है कि दिनांक 10.2.2023 को शाम 5.15 बजे अधिकतम मांग 12.64 KW / 16.74 KVA दर्ज हुई है एवं पावर फेक्टर 0.75 Lag दर्ज हुआ है ।

(7) आवेदक के मीटर में बिलिंग डाटा के अनुसार माह जून 2020, जुलाई 2020, नवम्बर 2020, दिसम्बर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021, जुलाई 2021, नवम्बर 2021 दिसम्बर 2021, जनवरी 2022, फरवरी 2022, मार्च 2022, अगस्त 2022, सितम्बर 2022, जनवरी 2023, एवं 10 फरवरी 2023, को अधिकतम मांग क्रमशः 12.1 KW, 11.6, 9.1, 9.1, 12.4, 11.1, 11, 7.8, 8.84, 9.92, 12.1, 10.72, 6.24, 6.4, 10.02, 7.1 एवं 12.64 किलोवाट

दर्ज हुई है, जिस पर आवेदक ने न तो कोई आपत्ति दर्ज की ना ही उसे गलत साबित करने हेतु कोई साक्ष्य / दस्तावेज / तर्क प्रस्तुत किया है ।

(8) बिलिंग डाटा से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक बार–बार स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग कर रहा है जो कि अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन है ।

05 प्रकरण में की गई विवेचना से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :–

(1) आवेदक वर्षो से अनाधिकृत रूप से स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग कर रहा है जो कि अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन है साथ ही विद्युत नियमों के विरूद्ध है ।

(2) अनावेदक द्वारा की जा रही बिलिंग टैरिफ अनुसार की जा रही है जिस माह में अधिकतम मांग स्वीकृत भार से अधिक दर्ज हो रही है केवल उन्हीं माहों में अधिकतम मांग के अनुसार फिक्स चार्ज एवं मिनिमम यूनिट की बिलिंग की है ।

(3) अधिकतम मांग स्वीकृत भार से अधिक दर्ज होने का कारण मोटर पुरानी होने से अधिक करंट लेना प्रतीत होता है जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार है ।

(4) अधिकतम मांग स्वीकृत भार से अधिक दर्ज होने के कारण मोटर की खराबी एवं केपेसिटर का भी सही काम नहीं करना है जिसके लिए अनावेदक जिम्मेदार नहीं है ।

06 प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षो के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है:–

(I) अपीलार्थी की अपील नियम विरूद्ध होने से अस्वीकार की जाती है ।

(II) अनावेदक द्वारा जारी किये जा रहे बिल नियमानुसार सही है अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि बकाया राशि का 1 माह के अन्दर भुगतान करे । नहीं करने की स्थिति में अनावेदक नियमानुसार वसूली हेतु स्वतंत्र है ।

(III) अपीलार्थी को सलाह दी जाती है कि वह मोटर को ठीक करवाये / पुरानी मोटर को नई मोटर से बदले साथ ही केपेसिटर की भी जॉच करवाये / सही क्षमता का नया केपेसिटर लगावे एवं आवश्यकतानुसार भार वृद्धि भी करावे ।

07 उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभय पक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

08 आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ उभय पक्ष पृथक रूप से सूचित हो आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल